राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

एफ.4(16)दिशा–निर्देश/विधि/पंरा/2016/325 जयपुर, दिनांक 19-4-2017

:: परिपत्र ::

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं स्तर पर स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा किसी निजी भवन के विक्रय आदि के सम्बन्ध में संबंधित पक्षकार को अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में इस तरह के प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायतों द्वारा जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अतः ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जाये ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(ललित कुमार)
उप शासन सचिव(विधि)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
5. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
6. सम्भागीय आयुक्त, समस्त, राजस्थान ।
7. जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
9. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान ।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त रारजस्थान ।

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क0एफ.139(16)निर्देश/विधि/पंरा/2021/263 दिनांक : 23.02.21

:::: परिपत्र ::::

विषय :– ग्राम पंचायतों द्वारा कुर्सीनामा/वारिस/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय सरपंचों/ग्राम पंचायतों द्वारा अक्सर किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर उसके पक्ष में कुर्सीनामा/वारिस/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाते/जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 में किसी भी पंचायती राज संस्था द्वारा कुर्सीनामा/वारिस/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी ध्यान में आया है कि इस प्रकार किसी सरपंच/ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्तानुसार जारी किये गये कुर्सीनामा/वारिस/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र विधिक दृष्टि से अमान्य होने के कारण, जारी करने वाले सरपंच/ग्राम पंचायत को अनावश्यक जांच कार्यवाहियों का भी सामना करना पड़ता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि सरपंच/ग्राम पंचायतों द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा0वि0 एवं प0 राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, जयपुर।
3. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, राजस्थान।
4. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
5. ए0सी0पी0 पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

उपायुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.15(69)पंरावि/विधि/ग्रा.पं.मार्ग./ जयपुर/ 2019/ 1801 जयपुर, दिनांक–30/08/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, जयपुर ।

विषयः–पंचायतों को कुर्सीनामा/उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र जारी करने की शक्ति, प्रकिया व नियमों के संबंध में मार्गदर्शन बाबत ।

संदर्भः–आपका पत्र कमांक 3813 दिनांक 20.08.2019

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आप द्वारा पंचायतों को कुर्सीनामा/उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र जारी करने की शक्ति, प्रकिया व नियमों के संबंध में मार्गदर्शन हेतु निवेदन किया गया है ।

पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं पंचायती राज नियम, 1996 में परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर पंचायतों द्वारा कुर्सीनामा/वारीसान/उत्तराधिकारी प्रमाण–पत्र जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

अतः सुलभ संदर्भ हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 की छाया प्रति संलग्न नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

संयुक्त शासन सचिव(विधि)